RTE के अंतर्गत मान्यता हेतु स्कूल द्वारा दर्ज आवेदन की स्थिति देखें*

Back

स्कूल क्रमांक

PS 27469

Please enter the code shown above

R6JV

स्थिति देखें

स्कूल का नाम ST MARYS COED SCHOOL HARDA

डाइस कोड	जिला	विकास खण्ड(ब्लॉक)	स्थानीय निकाय	ग्राम पंचायत / ज़ोन	ग्राम / वार्ड
23360117901	HARDA	HARDA	Nagar Palika, HARDA	Zone 1, Nagar Palika हरदा	Ward-28

आवेदन की स्थिति

स्कूल की सामान्य जानकारी

स्कूल का नाम: ST MARYS COED SCHOOL HARDA

मान्यता अवधि: Recognized (01/04/2025 से 31/03/2028 तक)

स्कूल संचालन की कक्षा: : प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक

स्कूल की प्रकृति: सहशिक्षा

क्या स्कूल अल्पसंख्यक संस्था द्वारा संचालित है ? **हाँ**

संबद्धता बोर्ड : CBSE

शिक्षण का माध्यम: अंग्रेजी

स्कूल संचालन की स्थिति : **Recognised**

आरटीई निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया मे स्कूल को शामिल करने की स्थिति (2025-2026) : NO **[Minority School]**

» UDISE पोर्टल के अनुसार सत्र (2023-2024) मे Enrollment [01/03/2024] की स्थिति मे:

कक्षा नर्सरी	कक्षा केजी-1	कक्षा केजी-2	कक्षा-1
137	152	177	184

स्कूल द्वारा आवेदन

आवेदन दर्ज दिनांक: 04/01/2025

आवेदन लॉक दिनांक: 20/01/2025

आवेदन विकासखंड श्रोत समन्वयक अधिकारी को प्रेषित दिनांक: 20/01/2025

Principal
St. Mary's Co-Ed School
Harda 461 331 (M.P.)

विकासखंड श्रोत समन्वयक अधिकारी द्वारा निरीक्षण

विकासखंड श्रोत समन्वयक अधिकारी द्वारा स्कूल भ्रमण दिनांक: 27/01/2025

स्कूल मान्यता प्रबंधन प्रणाली (SRMS) The Madhya Pradesh State Right to Education(RTE)Portal (/Default.aspx)

आवेदन लॉक दिनांक:

होम (/SRMS/Default.aspx)

जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी को प्रेषित दिनांक: 27/01/2025

(/Default.aspx)

RTE Admission (/Lottery/Default.aspx?m=1)

जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी द्वारा कार्रवाई

RTE

कार्रवाई दिनांक: 11/02/2025

RTE a जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी द्वारा टीप: विकासखंड स्त्रोत समन्वयक हरदा की अनुशंसा एवं दस्तावेजो के परीक्षण के आधार पर मान्यता का नवीनीकरण किया जाता है।

जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी द्वारा कार्रवाई: मान्यता देना है

आवेदन लॉक दिनांक: 18/02/2025

डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक: 18/02/2025

Madhya Pradesh State RTE Portal - Designed and Developed by MPSEDC, School Education Department, Government of Madhya Pradesh. All Rights Reserved.

The System has been designed & developed by MPSEDC as per the requirements of the department.

The system is operated by the concerned officials and officers of the department as per the Instructions/orders. Data, contents, processes are fully managed and updated by the department officials.

Server IP: 10.115.16

Principal
St. Mary's Co-Ed School
Harda 461 331 (M.P.)

प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : **148881/ 27469**

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (**हरदा**), मध्यप्रदेश

स्कूल: **ST MARYS COED SCHOOL HARDA**

मान्यता का प्रकार - **नवीनीकरण मान्यता / नवीन मान्यता**

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2022.04.18 19:16:32 +05:30
Reason: Issued By: deo harda

सत्र - 2022-23

प्रति,

प्रबंधक **(ST MARYS COED SCHOOL HARDA)**

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक **08/02/2022** तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यव्हार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - **ST MARYS COED SCHOOL HARDA** डाइस कोड - **23360117901** स्कूल क्रमांक - **PS 27469** को कक्षा **प्री प्राइमरी-नर्सरी** से **आठवीं** तक के लिए दिनांक **01/04/2022** से **31/03/2025** तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नही होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबंद्‌दता की कोई बाध्यता किसी भी रूप मे विवक्षित नही होगी
- स्कूल निःशिल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोसी की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात मे निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम कीधारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे ।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा ।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस क संग्रह नही करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नही अपनाएगा ।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नही करेगा -
  - (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चयात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर |
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
  - किसी स्कूल मे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
  - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीण करने कि आवश्यकता नहीं होगी ;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
  - अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षको कि भर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आर्हता नहीं रखते है, उन्हे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आर्हता प्राप्त करनी होगी
  - शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के आधीन विनीरदृष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा
  - प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नही लेंगे/लेंगी
- स्कूल समुचित प्राधिकारी दवारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा
- अधिनियम कि धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा

• स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनिद्दष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे | अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

स्कूल का विवरण

स्कूल	डाइस कोड	शैक्षणिक सत्र	जिला	क्षेत्र का प्रकार	विकास खण्ड(ब्लॉक)	ग्राम / वार्ड	पिन कोड	पुलिस थाना	रेखांश	अक्षांश
ST MARYS COED SCHOOL HARDA	23360117901	17	हरदा	शहरी	HARDA	Ward-28	461331	थाना हरदा	22.3408641	77.100457

स्कूल की सामान्य जानकारी

स्कूल प्रारंभ होने की तिथि	01/07/1986
क्या स्कूल किसी सोसाइटी/न्यास/संगठन द्वारा संचालित है?	हाँ
सोसाइटी/न्यास/संगठन का नाम	ARCHDIOCESE OF BHOPAL
सोसाइटी/न्यास/संगठन का पंजीयन क्रमांक	600
स्वामी का नाम	
स्कूल के प्रबंधक/ अध्यक्ष/ सभापति का नाम	Most Rev.Sebastian Durairaj
पदनाम	President (Arch Bishop)
मोबाइल	0755423490
ई-मेल	archdiocebpl@gmail.com
कार्यालय का पता	33, Ahmedabad Palace Road BHOPAL (M.P.)
कार्यालय का दूरभाष	9425927772

स्कूल की प्रकृति

शिक्षण का माध्यम	अंग्रेजी
मान्यता हेतु स्कूल का प्रकार	सहशिक्षा
क्या स्कूल आवासीय है?	नहीं
क्या स्कूल केवल दिव्यांग बच्चो हेतु संचालित है?	नहीं
क्या स्कूल को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है?	हाँ
प्रवेश की प्रारंभिक कक्षा	प्री प्राइमरी-नर्सरी
प्रारंभिक कक्षा मे प्रवेश की न्यूनतम आयु	3
स्कूल की अंतिम कक्षा	आठवीं
क्या स्कूल को शासन / स्थानीय प्राधिकारी अनुदान प्राप्त है?	नहीं
क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है?	हाँ
प्राधिकारी का नाम	Central Board of Secondary Education - NEW DELHI
मान्यता क्रमांक	1030315
डाइस कोड(DISE)	

क्या स्कूल राज्य सरकार/ केंद्र सरकार / स्थानीय प्राधिकारी से निःशुल्क अथवा रिआयती दर पर किसी भूमि, भवन, उपकरण ाथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त होने के कारण निश्चित संख्या मे बलकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य है?	नहीं

स्कूल का क्षेत्रफल

विवरण	आवेदन मे दर्ज
स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन
स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	140263
स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	63063
खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	43576

अधोसंरचना का विवरण

विवरण	संख्या	ओसत आकार(वर्ग फिट मे)
कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष	44	840
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	5	840
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	5	840
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	5	840
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	5	840
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	5	840
भोजनालय-सह-भण्डार	1	80

पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यक्रम का विवरण

विवरण	बोर्ड

स्कूल मे उपलब्ध अन्य सुविधाओं का विवरण

विवरण	आवेदन मे दर्ज	फोटो
क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है	हाँ	
पठन पाठन सामग्री की हस्ताक्षरित सूची	हाँ	
खेलकूद एवं खेल उपकरण की हस्ताक्षरित सूची	हाँ	
पुस्तकों की संख्या	800	
पत्रिकाएं/समाचार पत्र	17	
पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	
पेयजल सुविधा की संख्या	60	
शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	
लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	45	
लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	45	
विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	2	

क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है	हाँ

नामांकन एवं शुल्क का विवरण

कक्षा	कुल सीट	कुल नामांकित छात्र	स्कूल द्वारा आरक्षित सीटें	वार्षिक शुल्क

विद्यालय के प्राचार्य अथवा ट्रस् ट/सोसायटी के अध्यक्ष/प्रबन्धक का प्रमाणीकरण

विवरण	हाँ / नहीं
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ने राज्य शिक्षा केन्द्र व्दारा संधारित वेबसाइट पर उपरोक्त वर्णित जानकारी भी दर्ज करा दी है।	हाँ
प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी व्दारा प्राधिकृत अधिकारी किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए स्कूल खुला रहेगा।	हाँ
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ऐसी रिपोर्ट एवं जानकारी, जो कि अपेक्षित की जाए, जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर दिए जाने और स्कूल की मान्यता की शर्तों की पूति की निरंतरता बनाए रखने या स्कूल के कार्य में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा जारी ऐसे अनुदेषों के पालन का वचन देता है।	हाँ
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल व्दारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या समुचित अधिकारी को निरीक्षण के लिए किसी भी समय दिए जाएंगे तथा स्कूल, यथास्थिति, संसद या राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही या कर्तव्य के निर्वहन के लिए केन्द्र और/या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी या प्रषासन को समस्त ऐसी जानकारियां, जो कि आवश्यक हों, प्रस्तुत करेगा।	हाँ
विद्यालय, सक्षम प्राधिकारी व्दारा निर्धारित अधिकथित मान्यता की शर्तों का पालन करेगा।	हाँ

मान्यता संबंधी दस् तावेज

विवरण	अपलोड है (हाँ / नहीं)

स्कूल द्वारा संचालित पुस्तकों की जानकारी

कक्षा	विषय	पुस्तक	लेखक	आईएसबीएन न.	अधिकतम खुदरा मूल्य

अध्यापन कर्मचारियों का विवरण

शिक्षक का नाम	पिता / पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षणिक अर्हता विषय सहित	व्यावसायिक अर्हता	अध्यापन अनुभव(महीनों मे)	नियुक्ति दिनांक	कक्षा जिसमे पढ़ाते हैं

अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के प्रयोजन के लिए पड़ोस की सीमा

ग्राम / वार्ड	पड़ोस का प्रकार

• लेखे सपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड अकाउंट द्वारा स्त्यपित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा | प्रत्येक लेखाओं के विवरण कि एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी |

• आपकी स्कूल का मान्यता कोड़ नंबर **27469** एवं डाइसकोड़ (DISE) **23360117901** है | इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नंबर संदर्भित किए जाएँ

• ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत कि जाएगी, जो राज्य शिक्षा केंद्र/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय –समय पर अपेक्षित कि जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनु अनुदेषो का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन कि कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता कि शर्तो कि निरन्तर पूर्ति सुनश्चित करने हेतु जारी किए जाए |

(एल.एन.प्रजापति)
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-हरदा

• सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा |

• अन्य शर्ते संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी |

• अधिनियम एवं नियम के उपबंधो और मान्यता की शर्तो का उल्लघन पाये जाने तथा सिद्ध हों जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी |

भवदीय

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा (एल.एन.प्रजापति)

नाम ---------------------------- जिला शिक्षा अधिकारी

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला - हरदा